दिनांक–26.08.2022 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षा हेतु सम्बन्धित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के साथ की गई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा संधारित।

दिनांक– 26.08.2022 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की प्रगति की समीक्षा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, सभी सम्बन्धित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों, सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी एवं सभी हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ की गई।

समीक्षोपरान्त विभिन्न जिलों का प्रगति प्रतिवेदन एवं दिए गए निदेश निम्नवत् हैः–

I. <u>**विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की प्रगति की जिलावार समीक्षा**</u>ः– समीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम जिलावार प्रथम चरण के प्रगति की समीक्षा जिलों के सभी ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशन के लिए निम्नवत् निर्धारित की गई समय–सीमा एवं माहवार लक्ष्य के सन्दर्भ में की गई, जो जिलावार निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	जिला का नाम	मौजों की कुल संख्या	जुलाई– 2022 तक प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किये गए ग्रामों की संख्या	अगस्त– 2022 तक प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किये जाने वाले ग्रामों की संख्या	सितंबर– 2022 तक प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किये जाने वाले ग्रामों की संख्या	अक्टूबर– 2022 तक प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किये जाने वाले ग्रामों की संख्या
				कुल ग्राम	कुल ग्राम	कुल ग्राम
1	2	3	4	6	8	10
1	शेखपुरा	284	68	118	188	284
2	सुपौल	252	12	62	132	252
3	मुंगेर	313	70	140	218	313
4	बेगूसराय	440	65	135	235	440
5	लखीसराय	412	37	97	197	412
6	नालंदा	396	23	73	173	396
7	अरवल	314	04	44	124	314
8	जमुई	155	10	40	90	155
9	मधेपुरा	114	09	29	64	114
10	सहरसा	122	05	25	65	122
11	बांका	309	19	59	159	309
12	प0 चम्पारण	281	16	71	171	281
13	खगड़िया	163	08	48	98	163
14	शिवहर	80	05	25	50	80
15	जहानाबाद	240	10	60	140	240
16	कटिहार	185	05	45	105	185
17	पूर्णियाँ	72	05	21	46	72
18	सीतामढ़ी	253	10	60	140	253
19	किशनगंज	460	10	50	150	460
20	अररिया	144	09	34	74	144
कुल		4989	400	1236	2619	4989

उक्त लक्ष्य एवं जिलों द्वारा बैठक में दिए गए प्रतिवेदन के आलोक में की जिलावार समीक्षा निम्नवत् है:–

1. अररिया

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–09–अगस्त माह तक का लक्ष्य–34				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	88	86	107
2	खानापुरी	09	23	27
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	0	03	13
4	LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	0	03	11
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	0	0	0
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	0	0	0

अररिया बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा विलंब से मानचित्रों की आपूर्ति किए जाने के कारण अब तक एक ग्राम का भी प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं किया जा सका है। पृच्छा किए जाने पर कि लक्ष्य प्राप्ति नहीं होने की स्थिति में कितने कर्मियों से स्पष्टीकरण कर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई है, बताया गया कि कार्य नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत पर वेतन कटौती की गई है एवं प्रक्रमवार किए जाने वाले कार्य कार्यों का निष्पादन नियमावली द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर ही किया जा रहा है।

निदेशित किया गया कि अररिया जिले के लिए प्रतिदिन एजेंसी द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले मानचित्रों की समीक्षा की जाए और जिन कर्मियों के कारण कार्य बाधित हो रहा है है, उनकी संविदा समाप्ति की स्पष्ट अनुशंसा की जाए। साथ ही प्रत्येक दशा में माह सितंबर–2022 तक कम–से–कम 45 राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करते हुए माह दिसंबर–2022 तक सभी ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया जाए। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, IIC के प्रतिनिधि से प्रतिदिन जिलों को आपूर्ति किए जाने वाले मानचित्रों की समीक्षा की जाए एवं 15 दिनों में बन्दोबस्त कार्यालयों के प्रगति की पुनः समीक्षा की जाए।

2. अरवल

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–04–अगस्त माह तक का लक्ष्य–44				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	56	70	76
2	खानापुरी	04	05	06
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	01	03	04
4	LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	0	02	03
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	0	0	01
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	0	0	0

बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल द्वारा बताया गया कि जिले में 1000 खेसरों से कम संख्या वाले 80 ग्राम चिन्हित किए गए हैं। इन ग्रामों में एजेंसी द्वारा विलंब से मानचित्रों की आपूर्ति किए जाने के कारण मात्र 07 ग्रामों में खानापुरी पर्चा एवं 03 ग्रामों में LPM वितरण किया जा सका है। बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा 15 सितंबर–2022 तक 51 राजस्व ग्रामों में खानापुरी पूर्ण किए जाने का आश्वासन दिया गया।

निदेशित किया गया कि किस्तवार का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए अमीनों को Rough मानचित्र जिन पर उनके द्वारा कार्य किया गया है, के साथ एजेंसी के कार्यालय में बैठाकर एक बार में मानचित्रों को अद्यतन कर लिया जाए। अधिक से अधिक नवंबर–2022 तक सभी ग्रामों के प्रारूप अधिकार अभिलेखों को प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए।

3. बांका

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–19–अगस्त माह तक का लक्ष्य–59				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	262	303	298
2	खानापुरी	30	42	56
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	22	29	34
4	. LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	12	28	34
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	05	09	17
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	0	0	0

बन्दोबस्त पदाधिकारी, बांका द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 129 ग्रामों में खानापुरी कार्य चल रहा है एवं 56 ग्रामों में खानापुरी की जा चुकी है।

निदेशित किया गया कि कार्य की वर्त्तमान गति को यथावत बनाए रखे जाने की आवश्यकता है। साथ ही 500 से 1000 से कम खेसरे वाले ग्रामों की सूची तैयार कर उनमें प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण किया जाए। कार्यों की ग्राम एवं प्रक्रमवार Micro Monitoring की जाए और सितंबर–2022 तक 129 गामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करते हुए दिसंबर–2022 तक सभी ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाए। सुनवाई की प्रक्रिया में गति लाने के लिए रैयतों को आपत्ति दायर करते समय ही उन्हें सुनवाई की तिथि से अवगत करा दिया जाए। इस कार्य के लिए आवश्यक हो तो एक प्रपत्र का प्रारूप तैयार कर उसके द्वारा प्रथम पक्ष को सुनवाई की तिथि तुरंत तैयार कराने के साथ–साथ प्रपत्र के दूसरे भाग द्वारा द्वितीय पक्ष को अमीन द्वारा वितरित कर दिया जाए।

4. बेगूसराय

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–65–अगस्त माह तक का लक्ष्य–135				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	229	253	329
2	खानापुरी	114	127	179
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	83	183	103
4	LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	69	79	102
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	53	66	74
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	37	40	45

बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, IIC द्वारा बेगूसराय में प्लॉटर के अधिष्ठापन पश्चात् कार्य निष्पादन में तेजी आई है एवं MIS प्रतिवेदन के विपरीत खानापुरी का कार्य 138 ग्रामों में तथा LPM वितरण का कार्य 103 ग्रामों में पूर्ण किया गया है। 100 खेसरों से कम वाले 122 ग्राम तथा 500 खेसरे से कम वाले कुल 190 ग्राम चिन्हित किए गए हैं।

निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र 100 ग्रामों में प्रारूप प्रकाशन का कार्य पूर्ण किया जाए एवं 500 खेसरे से कम वाले सभी ग्रामों में सितंबर—2022 के अन्त तक प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए।

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को 500 से कम खेसरे वाले ग्रामों को अलग से चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करने एवं उनकी प्रगति का अलग से अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

5. जमुई

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य— जुलाई तक का लक्ष्य—10— अगस्त माह तक का लक्ष्य—40				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	124	132	137
2	खानापुरी	23	26	29
3	प्रपत्र—6 की प्रविष्टि	11	12	12
4	LPM एवं प्रपत्र—6 का वितरण	08	08	09
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	02	04	04
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	0	0	0

6. जहानाबाद

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य— जुलाई तक का लक्ष्य—10— अगस्त माह तक का लक्ष्य—60				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	57	89	137
2	खानापुरी	06	10	18
3	प्रपत्र—6 की प्रविष्टि	06	09	09
4	LPM एवं प्रपत्र—6 का वितरण	03	04	06
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	01	01	04
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	0	0	0

जमुई एवं जहानाबाद की समीक्षा में पाया गया कि कार्य के तुलनात्मक प्रगति Incremental Growth बहुत ही कम है और जहानाबाद के किस्तवार कार्य को छोड़कर दोनों जिलों के किसी भी कार्य के किसी भी प्रक्रम में जून, जुलाई एवं अगस्त माह में 10 राजस्व ग्रामों में भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

निदेशित किया गया कि जमुई एवं जहानाबाद जिले के बन्दोबस्त पदाधिकारी समेत समेत सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को उनके धीमा कार्य प्रगति के लिए कारण पृच्छा की जाए। दोनों जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि विशेष सर्वेक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है और यदि उनके द्वारा दिसंबर—2022 तक सभी ग्रामों का प्रारूप अधिकार प्रकाशित नहीं किया जाता है तो विभाग द्वारा उनके विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना को प्रतिवेदित कर दिया जाएगा।

7. कटिहार

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–05– अगस्त माह तक का लक्ष्य–45				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	114	128	156
2	खानापुरी	28	37	46
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	12	14	23
4	LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	09	14	21
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	0	03	04
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	0	0	0

कटिहार की उक्त समीक्षा में पाया गया कि अगस्त माह के निर्धारित लक्ष्य 45 के विरूद्ध मात्र 04 ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया गया है एवं तीन माह की तुलनात्मक प्रगति भी अत्यंत असंतोषजनक है। साथ ही जून माह में ही जब 114 राजस्व ग्रामों में किस्तवार का कार्य पूर्ण हो गया था तब अगस्त–2022 के अंत तक मात्र 46 राजस्व ग्रामों में ही खानापुरी का कार्य पूर्ण किया गया।

निदेशित किया गया कि बन्दोबस्त पदाधिकारी समेत सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों से धीमी गति के लिए कारण पृच्छा की जाए एवं प्रत्येक दशा में दिसंबर–2022 तक सभी ग्रामों का प्रारूप अभिलेख प्रकाशित किया जाए।

8. खगड़िया

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–08– अगस्त माह तक का लक्ष्य–48				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	40	69	103
2	खानापुरी	05	06	07
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	04	04	05
4	LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	0	0	01
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	0	0	0
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	0	0	0

बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि MIS प्रतिवेदन के विपरीत मात्र 07 ग्रामों में खानापुरी का कार्य पूर्ण किया गया है एवं सभी अमीनों द्वारा किस्तवार के लिए लंबित 60 ग्रामों में काम करने के कारण एक भी ग्राम का प्रारूप प्रकाशन नहीं किया जा सका है। बताया गया कि सितंबर–2022 के प्रथम सप्ताह तक सभी ग्रामों में किस्तवार पूर्ण कर खानापुरी कार्य में तेजी लायी जाएगी।

निदेशित किया गया कि प्रत्येक दशा में माह दिसंबर–2022 तक सभी ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन करना सुनिश्चित किया जाए।

9. किशनगंज

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–10– अगस्त माह तक का लक्ष्य–50				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	91	164	241
2	खानापुरी	03	05	11
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	02	02	02
4	LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	0	2	2
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	0	0	0
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	0	0	0

किशनगंज की समीक्षा में पाया गया कि अभी तक कुल 460 ग्रामों में से मात्र 241 ग्रामों में किस्तवार पूर्ण किया गया हैं। माह–जून–2022 तक 91 ग्रामों में किस्तवार पूर्ण होने के बावजूद अभी तक मात्र 11 ग्रामों में खानापुरी पूर्ण किया गया है।

निदेशित किया गया कि नोडल पदाधिकारी द्वारा किशनगंज का भ्रमण किया जाए। साथ ही मुंगेर के बन्दोबस्त पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे एक सप्ताह के अन्दर किशनगंज जाकर वहाँ चल रहे कार्यों की समीक्षा करें एवं कार्य की गति में आनेवाली बाधाओं को चिन्हित कर एक विस्तृत प्रतिवेदन भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को समर्पित करें।

10. लखीसराय

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–37– अगस्त माह तक का लक्ष्य–97				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	149	190	200
2	खानापुरी	71	76	77
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	54	60	61
4	LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	41	44	47
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	25	26	30
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	13	18	18

लखीसराय के प्रगति प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट हुआ कि लखीसराय में जून, जुलाई एवं अगस्त में प्रति माह किसी भी प्रक्रम में 10 गांवों का कार्य भी पूर्ण नहीं किया गया है।

लखीसराय के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा में बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा कार्य की प्रगति लक्ष्य के अनुसार प्राप्त नहीं किए जाने के कारणों एवं अन्य किसी भी कारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। साथ ही उनका व्यवहार भी सामान्य नहीं पाया गया। बन्दोबस्त पदाधिकारी के इस प्रतिकूल आचरण के कारण लखीसराय की समीक्षा नहीं की जा सकी।

निदेशित किया गया कि बन्दोबस्त पदाधिकारी की कार्यशैली एवं आचरण को देखते हुए उनके विरूद्ध आरोप पत्र तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाए।

11. मधेपुरा

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–09– अगस्त माह तक का लक्ष्य–29				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	76	84	92
2	खानापुरी	26	29	33
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	15	21	23
4	LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	08	15	20
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	04	04	09
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	0	0	0

मधेपुरा की समीक्षा में पाया गया कि कुल 114 ग्रामों में से 92 ग्रामों का किस्तवार पूर्ण हो जाने के बावजूद मात्र 33 ग्रामों में खानापुरी पूर्ण किया गया है एवं मात्र 09 ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया गया है। बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एजेंसी द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले मानचित्रों में Parent Child Relationship स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और प्रपत्र–18 में कुछ वैसे पुराने खेसरे भी दिखाई दे रहे हैं, जो पूर्व में उस ग्राम में थे ही नहीं।

निदेशित किया गया कि पूर्व सर्वेक्षण के खेसरों के सम्बन्ध में Parent Child Relationship को मात्र संदर्भ के रूप में देखा जाए। पुराने मानचित्र को नये मानचित्र के साथ Super impose करने पर हूबहू मिलान होना लगभग असंभव है। पुराने खाता एवं खेसरों को विशेष सर्वेक्षण में केवल संदर्भ के लिए ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सर्वेक्षण पूर्व सर्वेक्षण का रिविजन न होकर नया सर्वेक्षण है, जिसमें हवाई फोटोग्राफी की सहायता से तैयार नक्शों का जमीनी सत्यापन कर नया नक्शा बनाया जाना है। अतः इस सर्वेक्षण में पूर्व में किए गए सर्वेक्षणों का मात्र संदर्भ ही प्राप्त किया जाना है। प्रपत्र–18 में आ रही समस्याओं के निदान के लिए भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के प्रोग्रामर को निदेशित किया गया।

12. मुंगेर

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–70– अगस्त माह तक का लक्ष्य–140				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	286	311	311
2	खानापुरी	141	158	165
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	89	107	107
4	LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	82	93	103
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	57	63	72
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	22	25	25

मुंगेर के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुछ बड़े ग्रामों को छोड़कर शे सभी ग्रामों में किस्तवार पूर्ण कर लिया गया है, उनके द्वारा मुंगेर, बरियारपुर, शिविर–02 की प्रभारी, सीमा किरण की कार्यशैली एवं कार्य के विरूद्ध शिकायत करते हुए उसके विरूद्ध अविलंब कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

निदेशित किया गया कि अक्टूबर–2022 के अंत तक 250 ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन कर दिया जाए एवं शेष बचे ग्रामों का नवंबर– 2022 में पूरा किया जाए। बरियारपुर, शिविर–2 की शिविर प्रभारी के विरूद्ध मुंगेर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

13. नालंदा

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–23– अगस्त माह तक का लक्ष्य–73				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	327	378	381
2	खानापुरी	50	57	77
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	38	47	63
4	LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	31	38	50
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	11	13	22
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	01	02	04

बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा द्वारा बताया गया कि कुल 396 राजस्व ग्रामों में जिन 10 ग्रामों का डिजिटाइज्ड मानचित्र उपलब्ध नहीं हुआ है, उनको छोड़कर शेष सभी ग्रामों में किस्तवार पूरा कर लिया गया है एवं सभी अमीन खानापुरी कार्य में लगे हुए हैं। ग्रामों में खेसरों की संख्या अधिक होने एवं रैयतों द्वारा स्वामित्व सम्बन्धी कागजात उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण खानापुरी में समय लग रहा है।

निदेशित किया गया कि अक्टूबर– 2022 तक 120 ग्रामों में प्रारूप प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए एवं दिसंबर–2022 तक किसी भी परिस्थिति में सभी ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया जाए।

14. पूर्णियाँ

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–05– अगस्त माह तक का लक्ष्य–21				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	59	65	67
2	खानापुरी	24	30	32
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	09	11	18
4	LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	08	11	18
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	01	01	10
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	0	0	1

बन्दोबस्त पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि निर्धारित लक्ष्य 21 के विरूद्ध 10 ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया गया है एवं 05 वैसे ग्राम जहाँ खेसरों की संख्या 5000 से अधिक है, उनमें किस्तवार का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। पृच्छा की गई है कि जब जून–2022 तक 59 ग्रामों में किस्तवार पूरा हो चुका था तो मात्र 32 ग्रामों में ही खानापुरी क्यों पूर्ण हुआ है।

निदेशित किया गया कि किस्तवार पूर्ण सभी राजस्व ग्रामों में अक्टूबर–2022 तक प्रारूप प्रकाशन करना सुनिश्चित किया जाए एवं बड़े राजस्व ग्रामों में अतिरिक्त अमीनों को संलग्न कर सभी राजस्व ग्रामों में किस्तवार का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाए।

15. सहरसा

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–05– अगस्त माह तक का लक्ष्य–25				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	122	122	122
2	खानापुरी	02	06	11
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	0	0	04
4	LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	0	0	02
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	0	0	0
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	0	0	0

बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बताया गया कि सभी ग्रामों में किस्तवार का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 68 ग्रामों में खानापुरी का कार्य प्रगति पर है एवं 11 ग्रामों में खानापुरी पूरा किया जा चुका है। सहरसा में अधिकांश ग्रामों में खेसरों की संख्या 1000 से अधिक है और मात्र 09 ग्रामों में ही 1000 से कम खेसरा हैं। पृच्छा की गई कि माह–जून–2022 तक सभी ग्रामों का किस्तवार पूर्ण होने के बावजूद मात्र 11 राजस्व ग्रामों में खानापुरी होना असंतोषजनक है।

निदेशित किया गया कि सितंबर–2022 तक 1000 से कम खेसरे वाले सभी ग्रामों में प्रारूप प्रकाशित करते हुए दिसंबर–2022 तक सभी राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाए।

16. शेखपुरा

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–68– अगस्त माह तक का लक्ष्य–118				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	272	284	284
2	खानापुरी	79	92	112
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	72	82	94
4	LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	73	81	90
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	53	60	64
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	21	30	39

बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सभी ग्रामों में किस्तवार पूर्ण कर 64 ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया जा चुका है एवं 112 ग्रामों में खानापुरी पूरा किया जा चुका है। प्रतिवेदित किया गया कि रैयतों द्वारा समय पर कागजात उपलब्ध नहीं कराने एवं सहयोग नहीं करने के कारण अमीनों द्वारा एक दिन में 20–25 खेसरों से अधिक की खानापुरी नहीं हो पाती है एवं जिले में 24 ग्रामों में खेसरों की संख्या 10000 से अधिक तथा 33 ग्रामों में 5000 से अधिक है।

निदेशित किया गया कि स्थानीय समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना प्रकाशित की जाए कि यदि रैयत द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कागजात उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विशेष सर्वेक्षण का कार्य निर्धारित समय–सीमा में पूरा कर दिया जाएगा। साथ ही किसी ग्राम के लिए LPM एवं खानापुरी पर्चा Generate होने की तिथि को वितरण की तिथि मान ली जाए, चूँकि LPM Generate होने के साथ ऑनलाईन उपलब्ध हो जाता है। यह भी निदेशित किया गया कि 5000 से अधिक खेसरे वाले 57 ग्रामों को छोड़कर शेष ग्रामों में नवंबर–2022 तक प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।

17. शिवहर

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–05– अगस्त माह तक का लक्ष्य–25				
		कार्य की प्रगति		
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	27	66	74
2	खानापुरी	07	10	12
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	02	03	04
4	LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	01	02	02
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	0	0	01
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	0	0	0

बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर द्वारा बताया गया कि 12 ग्रामों में खानापुरी पूर्ण कर लिया गया है एवं जिले में 1000 खेसरे से कम वाले 11 ग्राम, 5000 से कम 51, 10000 से कम 14 तथा 10000 से अधिक 04 राजस्व ग्राम हैं।

निदेशित किया गया कि नवंबर–2022 तक 74 ग्रामों का एवं शेष का दिसंबर–2022 में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया जाए। जिन ग्रामों में खानापुरी पूर्ण हो गई है, उनके प्रपत्र–6 के संधारण एवं LPM वितरण में तेजी लाई जाए तथा 12 राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन माह सितंबर माह में करना सुनिश्चित किया जाए।

18. सीतामढ़ी

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–10– अगस्त माह तक का लक्ष्य–60				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	93	129	132
2	खानापुरी	08	09	16
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	05	06	06
4	LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	0	05	05
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	0	0	0
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	0	0	0

बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि 132 राजस्व ग्रामों में किस्तवार पूर्ण कर 55 राजस्व ग्रामों में खानापुरी किया जा रहा है। प्रतिवेदित किया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा बिना नवंबर–2022 के मानचित्रों में सीमा नहीं दिखाई गई है। इस सम्बन्ध में एजेंसी द्वारा बताया गया कि बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में रिविजनल सर्वे के मानचित्र की सीमा को ओरवलैप करके मांगा जा रहा है।

निदेशित किया गया कि सीतामढ़ी की समीक्षा अलग से करते हुए एजेंसी और बन्दोबस्त कार्यालय के मध्य हो रहे भ्रम की स्थिति को दूर किया जाए। साथ ही दिसंबर–2022 तक प्रत्येक दशा में सभी ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित कराना सुनिश्चित की जाए।

19. सुपौल

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–12– अगस्त माह तक का लक्ष्य–62				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	247	252	252
2	खानापुरी	36	44	53
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	20	29	37
4	LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	16	28	32
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	06	08	10
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	02	02	02

बन्दोबस्त पदाधिकारी, सुपौल द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सभी राजस्व ग्रामों में किस्तवार पूर्ण कर 53 ग्रामों में खानापुरी पूर्ण किया गया है एवं 10 ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन किया गया है यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रतापगंज के अमीनों द्वारा माह–जनवरी–2022 से प्रारंभ किए गए खानापुरी कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। साथ ही शिविर प्रभारी एवं कानूनगो के स्तर से कार्य में लापरवाही की जा रही है।

निदेशित किया गया कि माह–जून तक 247 ग्रामों का किस्तवार पूर्ण होने के बावजूद अभी तक मात्र 53 ग्रामों में खानापुरी पूर्ण किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के कार्यों का सही ढंग से अनुश्रवण नहीं करने एवं कर्मियों पर नियंत्रण नहीं किए जाने के लिए बन्दोबस्त पदाधिकारी से कारण पृच्छा की जाए। वैसे सभी अमीनों (08 अमीन) द्वारा 06 माह या उससे अधिक समय से खानापुरी किया जा रहा है, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

20. पश्चिम चम्पारण

प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य– जुलाई तक का लक्ष्य–16– अगस्त माह तक का लक्ष्य–71				
कार्य की प्रगति				
क्र0 सं0	कार्य का नाम	जून तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	जुलाई तृतीय सप्ताह तक की प्रगति	अगस्त तृतीय सप्ताह तक की प्रगति
1	किस्तवार	279	281	281
2	खानापुरी	58	78	92
3	प्रपत्र–6 की प्रविष्टि	26	40	47
4	LPM एवं प्रपत्र–6 का वितरण	24	28	42
5	प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	09	16	20
6	अन्तिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित ग्राम	01	02	02

बन्दोबस्त पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा बताया गया कि सभी ग्रामों में किस्तवार पूर्ण कर 92 ग्रामों में खानापुरी की गई है। लगभग 50 ग्राम ही 1000 खेसरों से कम वाले हैं एवं 168 मौजों में खेसरों की संख्या– 1000 से अधिक है। इस कारण खानापुरी में समय अधिक लग रहा है। पृच्छा की गई कि जब माह–जून–2022 तक ही 279 ग्रामों का किस्तवार पूर्ण हो गया था तो अब तक मात्र 92 ग्रामों का खानापुरी पूर्ण होना अत्यंत खेदजनक है।

निदेशित किया गया कि जिन ग्रामों में खेसरों की संख्या 5000 से कम है, वैसे 170 राजस्व ग्रामों में प्रारूप प्रकाशन करना सुनिश्चित किया जाए।

II. <u>भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं के संबंध में</u>:– बैठक में उपस्थित बन्दोबस्त पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्य में भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर से सम्बन्धित निम्नांकित समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट कराया गया:–

(i) विश्रांति के द्वितीय चरण में पारित आदेशों को भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में देखना संभव नहीं हो पा रहा है।

(ii) विश्रांति में पाई गई गलतियों को बिना बन्दोबस्त पदाधिकारी की अनुमति और जानकारी के उस ग्राम के सम्बन्धित अमीन/कानूनगो/स0ब0पदा0 द्वारा सुधार कर दिया जाता है।

(iii) यदि किसी रैयत के नाम पर खेसरा पंजी में क, ख, ग, घ 4 प्लॉट दर्ज किए गए हैं और सुनवाई के क्रम में कोई एक प्लॉट यथा 'ख' दूसरे के नाम पर स्थानान्तरित हो जाता है तो सभी प्लॉटों के स्वामित्व एवं चौहद्दी में परिवर्त्तन हो जाता है।

(iv) विश्रांति के दौरान भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में की गई प्रविष्टियों की संख्या अधिक होने के कारण सभी प्रविष्टियों को चेक करने पर Timeout हो जाने के कारण सभी प्रविष्टियों की जाँच नहीं हो पाती है।

सॉफ्टवेयर सम्बन्धी कठिनाईयों के सम्बन्ध में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, IIC द्वारा बताया गया कि प्रपत्र–6 में एक ही खेसरा की दो बार प्रविष्टि हो जाती है और इस कारण उसका 02 बार LPM भी Generate हो जाता है। प्रपत्र–6 में की गई प्रविष्टि के अनुसार भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में वजह नहीं आती है।

सॉफ्टवेयर सम्बन्धी उक्त समस्याओं की विवेचना पश्चात् निदेशित किया गया कि भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित की जाने वाली प्रविष्टियों के संवेदनशीलता (Sensitivity) एवं महत्त्व को देखते हुए आवश्यक है कि संधारित किए गए डाटा से किसी तरह की छेड़छाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती है। भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के प्रोग्रामर को निदेशित किया गया कि विश्रांति के द्वितीय चरण में कार्य शुरू होने पर पहले के किसी भी कर्मी को उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव बिना बन्दोबस्त पदाधिकारी की अनुमति के नहीं किए जाने की व्यवस्था की जाए। भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के प्रोग्रामर द्वारा बताया गया कि विश्रांति में डाटा की जाँच को बारी–बारी करके Submit करने से Timeout की समस्या नहीं आयेगी। निदेशित किया गया कि सॉफ्टवेयर सम्बन्धी सभी समस्याओं को अविलंब दूर किया जाए। साथ ही बन्दोबस्त पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। यदि किसी गलत प्रविष्टि को सुधारने के लिए लॉक को हटाने की ज़रूरत हो तो जब तक कि बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से सुधार संबंधी अनुरोध भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को प्राप्त नहीं होगा तब तक उसमें सुधार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई कि शिविर या जिला स्तर से किसी भी प्रविष्टि में सुधार के लिए सॉफ्टवेयर जेनरेटेड Case ID के माध्यम से ही सुधार किया जाना अनिवार्य है ताकि यह स्पष्ट पता चल सके कि कब और किसके द्वारा क्या सुधार किया गया और सुधार आदेश में दिखाई गई त्रुटि के अनुसार ही किया गया या उसमें सुधार करने वाले के स्तर से कोई छेड़छाड़ की गई है।

III. <u>भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में की जानेवाली नई प्रविष्टियों के सम्बन्ध में</u>:– बैठक में उपस्थित सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को आई0टी0 सेल द्वारा भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में की जानेवाली निम्नांकित नई प्रविष्टियों से अवगत कराया गया:–

(i) **विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में सुनवाई संबंधी कार्यों का Gap Analysis-** बताया गया कि कानूनगो एवं शिविर प्रभारी द्वारा सुनवाई संबंधी प्रथम एवं विभिन्न तिथियों को रक्षित किए जाने के साथ–साथ सुनवाई की अंतिम तिथि को भी रक्षित करते हुए उसे चिन्हित किया जाना आवश्यक होगा ताकि सुनवाई प्रक्रिया में लगे संपूर्ण समय–सीमा की समीक्षा की जा सके।

(ii) **जिला, शिविर एवं ग्राम की Scan Review Report-** इसके तहत किसी भी जिले, शिविर या ग्राम में किए गए संपूर्ण कार्यों को संकलित कर एक जगह किया जाएगा एवं जिला शिविर अथवा ग्राम की संपूर्ण कार्य प्रगति का अवलोकन एक साथ किया जा सकेगा।

(iii) ग्राम सभा की प्रथम तिथि तथा प्रपत्र–6 में प्रथम तथा अंतिम प्रविष्टि की तिथि की प्रविष्टि।

(iv) **सरकारी भूमि सम्बन्धी जानकारी –** विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में अमीन द्वारा प्रपत्र–6 में सरकारी जमीन की प्रविष्टि के पश्चात् इसे जिलावार एवं ग्रामवार देखने की सुविधा बनाई गई है ताकि किसी जिला या ग्राम में स्थित समस्त सरकारी भूमि के आंकड़ों को एक साथ देखा जा सकता है।

निदेशित किया गया कि भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में की जानेवाली उक्त नई प्रविष्टियों एवं नए प्रावधान के लिए निदेशालय स्तर से यूजर मैनुअल बनाकर सभी जिलों को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही निदेशालय स्तर से जिलों के लिए सॉफ्टवेयर के संबंध में प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जाए। सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि अनेक विशेष सर्वेक्षण अमीन याददाश्त पंजी को ठीक से अपलोड नहीं कर रहे हैं, जिस कारण Village Scan में याददाश्त पंजी 0 प्रदर्शित हो रहा है। इसी तरह सुनवाई सम्बन्धी आदेशों में सभी आदेश और उनके साथ अनुलग्नक को कानूनगो और शिविर प्रभारी द्वारा अपलोड नहीं कराया जा रहा है। अनेक कानूनगो तथा स0ब0पदा0 द्वारा पारित आदेशों की गुणवत्ता भी सही नहीं है।

निदेशित किया गया कि भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में की जानेवाली सभी प्रकार की प्रविष्टियों की जिला स्तर पर नियमित जाँच की जाए एवं सुनवाई सम्बन्धी आदेशों के आदर्श प्रारूपों को अन्य जिलों से प्राप्त कर कानूनगो एवं स0ब0पदा0 को उपलब्ध कराया जाए।

IV. <u>विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के ऑनलाईन उपस्थिति एवं डायरी की समीक्षा</u>:– बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कर्मियों के ऑनलाईन उपस्थिति एवं डायरी संधारण की गुणवत्ता में पहले से सुधार हुआ है किन्तु डायरी में शब्दों की सीमा निश्चित नहीं होने के कारण गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।

निदेशित किया गया कि जिला स्तर से कर्मियों की ऑनलाईन उपस्थिति डायरी का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए। आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को निदेशित किया गया कि डायरी भरने में 50 शब्दों की सीमा निर्धारित की जाए।

V. <u>अन्यान्य</u>:– बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि जिला स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को आपदा निर्वाचन एवं अन्य कार्यों में लगाए जाने से विशेष सर्वेक्षण का काम प्रभावित होता है। विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में लगाए जाने वाले पिलर की दर को पुनः निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। अरवल के बन्दोबस्त पदाधिकारी–सह–प्रभारी, प्राचार्य, RSTI द्वारा RSTI, बोधगया को विद्युत मद में आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिलों में पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के योगदान पश्चात् निदेशालय स्तर के Transit अवधि के बारे में बताया गया कि अमीन के सम्बन्ध में स्पष्ट पत्र प्राप्त है, किन्तु स0ब0पदा0 एवं कानूनगो के सम्बन्ध में स्पष्ट पत्र प्राप्त नहीं है। इन्टरनेट के लिए दिए जाने वाले 400 रूपये के बारे में स्पष्ट करने का अनुरोध दिया गया कि इसे केवल अमीन को दिया जाना है अथवा स0ब0पदा0, कानूनगो एवं अमीन तीनों को भुगतान किया जाना है। विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के मातृत्व एवं उपार्जित अवकाश से सम्बन्धित आवेदनों को भी शीघ्र निष्पादित करने का अनुरोध किया गया। अररिया एवं सीतामढ़ी के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर को पदस्थापित करने की मांग की गई।

निदेशित किया गया कि सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी अपने–अपने जिले में जिला प्रशासन द्वारा पिछले तीन महीनों में विशेष सर्वेक्षण से अन्य कार्यों में लगाए जाने संबंधी प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे ताकि उच्च स्तर पर इसकी जानकारी की जा सके। पिलर की दर का पुर्ननिर्धारण करने के सम्बन्ध में भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को पत्र देने का निदेश दिया गया। सहायक निदेशक एवं प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को निदेशित किया गया कि सभी जिलों के स्थापना एवं आवंटन से सम्बन्धित मामलों का निष्पादन 01 सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित किया जाए।

आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को निदेशित किया कि भविष्य में जिला अथवा निदेशालय स्तर से तैयार किए जाने वाले समीक्षा सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण (PPT) में कार्यरत कर्मियों की पदवार संख्या का स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04)वि0 सर्वे 09/2022......2335......**पटना, दिनांकः** 5/9/2022

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04)वि0 सर्वे 09/2022......2335......**पटना, दिनांकः** 5/9/2022

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04)वि0 सर्वे 09/2022......2335......**पटना, दिनांकः** 5/9/2022

प्रतिलिपि :– जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04)वि0 सर्वे 09/2022......2335......**पटना, दिनांकः** 5/9/2022

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/निदेशालय स्तर के सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04)वि0 सर्वे 09/2022......2335......**पटना, दिनांकः** 5/9/2022

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03 / भू0अ0नि0 (04)वि0 सर्वे 09 / 2022......2335......पटना, दिनांकः 5/9/2022

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप
5/9/22